

संख्या- 1462/15-7-07-16(52)/2007

प्रेषक,

सदानन्द,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा केंद्र-2 समुदाय केंद्र,
प्रीति बिहार, नई दिल्ली।

शिक्षा (7) अनुदान

संलग्नक: दिनांक: 06 सितम्बर, 2007

विषय :- तीन प्रिविफ स्कूल खिरवा जिला जालपुर, मेरठ को सी०बी०एस०ई० नईदिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाता।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि उक्त संबंधित विद्यालय को सी०बी०एस०ई० नईदिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबंधों के अधीन अनापत्ति नहीं है:-

- (1) विद्यालय को पर्योक्त सौसावदी का समय-समय पर नवीनीकरण करना जायेगा।
- (2) विद्यालय की प्रबंध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
- (3) विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के श्रेणीय बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उ०प्र० माध्यमिक शिक्षा परिषद/केन्द्रीय शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
- (4) संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की संबद्धता सेट्टल बोर्ड आफ सेकेंडरी एनुवैशन नईदिल्ली, केंद्रीय आफ दि इण्डियन स्कूल सर्विसेज इन्फ्रानिनेशन नईदिल्ली से प्राप्त होती है, तो उस परीक्षा शरतों से संबद्धता प्राप्त होने की तिथि से उ०प्र० माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रयत्न मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः सन्तुष्ट हो जायेगा।
- (5) संस्था के शैक्षिक एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारियों का राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों की अनुसूचित वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।

Anu Kumar

Principal
TEJ PUBLIC SCHOOL
Khirwa Road, Khirwa Jalalpur
Distt. Meerut

Manager
TEJ PUBLIC SCHOOL
Khirwa Road, Khirwa Jalalpur
Distt. Meerut

- (6) कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवा निर्वाह का लाभ उपलब्ध कराये जायेगे ।
- (7) राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेगे संस्था उनका पालन करेगी ।
- (8) विद्यालय का रिकार्ड नियमित प्रपत्र पत्रिकाओं में रखा जायेगा ।
- (9) उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्तन नहीं किया जायेगा ।

2- उक्त प्रतिबंधों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबंधों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या अनियमितता बरती जाती है तो राज्य सरकार द्वारा पदतल अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

भवदीय,

(सदानन्द)

अनु सचिव।

पुस्तकिया एवं दिनांक तथैय


प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाई एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-


- 1- शिक्षा निदेशक(भा०), उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 2- मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, मेरठ ।
- 3- जिला निदेशक गिरीवाक, मेरठ ।
- 4- गिरीवाक, जिला भारतीय विद्यालय उ०प्र०, लखनऊ ।
- ✓ 5- प्रबंधक, सेन पब्लिक स्कूल खिरवा खिरवा, मेरठ ।
- 6- गार्ड बुक ।

आज्ञा से,

(सदानन्द)

अनु सचिव।


Principal
TEJ PUBLIC SCHOOL
Khirwa Road, Khirwa Jalalpur
Distt. Meerut


Manager
TEJ PUBLIC SCHOOL
Khirwa Road, Khirwa Jalalpur
Distt. Meerut